डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

जलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-: वादीगण :-

1. धनकंवर पत्नी स्वर्गीय थानसिंह
2. नवदीपसिंह जोधा पुत्र स्वर्गीय थानसिंह
3. मन्जुकंवर पुत्री स्वर्गीय थानसिंह

जातियान-राजपूत,
निवासीगण-डिगरना,
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर,
राज०।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण,भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।
2. धनश्यामसिंह पुत्र रामसिंह जाति-राजपूत
3. बलराम पुत्र सुगनाराम
4. रतनाराम पुत्र सुगनाराम
5. रामपाल पुत्र सुगनाराम
6. हनुमानराम पुत्र सुगनाराम जातियान-कुम्हार
7. ओमसिंह पुत्र मनोहरसिंह
8. दिलीपसिंह पुत्र मनोहरसिंह
9. विक्रमसिंह पुत्र मनोहरसिंह
10. मधुकंवर पत्नी मनोहरसिंह जातियान-राजपूत
11. रामदीन पुत्र रमजीराम
12. रामनिवास पुत्र धाराराम जातियान-जाट
13. भवानीसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति-राजपूत
14. राधेश्याम वैष्णव पुत्र कालूदास जाति-साद
15. शिवशंकरसिंह पुत्र नाथूसिंह
16. सज्जनसिंह पुत्र नाथूसिंह
17. अजीतसिंह पुत्र नरपतसिंह
18. उम्मेदसिंह पुत्र नरपतसिंह
19. कल्याणसिंह पुत्र रामसिंह
20. गजेसिंह पुत्र नारायणसिंह
21. पृथ्वीसिंह पुत्र सगतसिंह
22. भंवरसिंह पुत्र नरपतसिंह
23. मदनसिंह पुत्र नरपतसिंह
24. मोहनकंवर पत्नी नरपतसिंह
25. मोहनसिंह पुत्र रावतसिंह फौत के का0मु0
    25/1 नाथुसिंह पुत्र मोहनसिंह
    25/2 हरीसिंह पुत्र मोहनसिंह
26. शम्भूसिंह पुत्र नारायणसिंह
27. सोहनसिंह पुत्र नारायणसिंह

जातियान- राजपूत, समस्त
निवासीगण-डिगरना,
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 206/2023
निर्णय व डिक्री दिनाँक : 29/01/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री महावीरसिंह

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

ावत, श्री विनोद चौहान, अधिवक्ता सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी नजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 8, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। ादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 519 रकबा 1.7968 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.2060 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 518 रकबा 2.1691 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.5414 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1043 रकबा 1.2545 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1072 रकबा 2.5414 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 670 रकबा 1.4164 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में वादीगण संख्या 01 के पति व वादीगण संख्या 02 व 03 के पिता बतौर खातेदार दर्ज "***दशरथसिंह पुत्र शेरसिंह***" के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि "***थानसिंह पुत्र शेरसिंह***" दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार थानसिंह पुत्र शेरसिंह को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/01/2025 को जारी किया गया।

मोहर

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	20	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	28	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।